

दिनांक: 27 अगस्त, 2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट के भाग-1 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या-1225 / 79-वि-1-09-1(क)11 / 2009
लखनऊ: दिनांक: 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल गहोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 26 अगस्त 2009 वाले अनुगामी प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

(प्रताप बीरेन्द्र कुशवाहा)
सचिव।

संख्या-1225(1) / 79-वि-1-09-1(क)11 / 2009 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को अधिनियम की मूल प्रति के साथ।
- 5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 7- महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 8- निजी सचिव, सचिव, विधायी, उत्तर प्रदेश शासन को सचिव गहोदय के सूचनार्थ।
- 9- संसदीय कार्य अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 10- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 11- भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 12- विधायी अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से

(अल्ख नारायण)
विशेष सचिव एवं अपर विधि
परामर्शी।

(उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 27 मार्च 2009)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।
संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह 27 मई, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
६ साल 2008 वरी
धारा 2 का
संशोधन

नई धारा 3 का
वाल बदलाव जीवा

2-उत्तर प्रदेश मूल्य रांचर्चित कर अधिनियम, 2008 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (क ७) में उपखण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(जीव) धारा 3-क के अधीन उद्घरणीय अतिरिक्त कर की धनराशि।”

3-मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी,

अर्थात् -

“3-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किए गए बात के अतिरिक्त कर प्रतिवृत्त द्वाते हुये भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबंधों के उद्घरण अधीन रहते हुये इस 3-धिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन संदेश कर के अतिरिक्त भाल के विक्रय या क्रय या दोनों के करायें आवर्त पर राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर जो ५ प्रतिशत से अधिक न हो, अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होया; विभिन्न भाल अथवा अधिक श्रेणियों के भाल के सम्बन्ध में अलग-अलग दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अतिरिक्त कर का उद्घरण एवं भुगतान निम्नलिखित पर नहीं विद्या जाएगा,-

(क) अनुसूची-एक एवं अनुसूची-तीन के रत्नम् 2 में विनिर्दिष्ट भाल के यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर;

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिये विशेष महत्व के रूप में घोषित भाल के यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर;

(ग) राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट व्यवहारी वर्ग द्वारा ऐसा विक्रय या क्रय या ऐसे भाल का विक्रय या क्रय।

(3) उपधारा (1) के अधीन भुगतान की दायी धनराशि, धारा 13 के उपबंधों के अनुसार इनपुट टैक्स ब्रोडिट के लिये पात्र होगी।

(4) कोई व्यवहारी जो धारा 6 के अधीन कर समाधान की सुविधा का उपभोग कर रहा है, अतिरिक्त कर के रामबन्ध में भी कर समाधान की सुविधा का उपभोग करने का पात्र होगा।

(5) इस धारा के अधीन उद्घरणीय अतिरिक्त कर का उद्घरण, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् समाप्त हो जाएगा।”

4-(1) उत्तर प्रदेश मूल्य सावधित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2009

एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही भमझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उददेश्य और कारण

राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उददेश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य सम्बंधित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था को जाय :-

(क) अतिरिक्त कर को 'कर' की परिभाषा में सम्भिलित किया जाय,

(ख) अधिनियम के अधीन संदेश कर के अतिरिक्त भाल के विक्रय या क्रय या दोनों के कराधेय आवर्त पर ऐसी दर पर, जो 5 प्रतिशत से अधिक न हो व जिसके भुगतान का आवहारी दायी हैं, अतिरिक्त कर की दर को गजट में अधिरूपना द्वारा विनिर्दिष्ट वरने के लिये राज्य सरकार को सशक्त किया जाय;

(ग) अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण एवं भुगतान निम्नलिखित पर न किया जाय :-

(एक) अनुसूची-एक एवं अनुसूची-तीन के रामा-2 में विनिर्दिष्ट भाल के, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त;

(दो) कंगड़ीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की घाग 14 के अधीन आन्तर्राजीय व्यापार वा वाणिज्य के लिये विशेष महत्व के रूप में घोषित भाल के, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दाना के आवर्त;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा घाग 7 के खण्ड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट आवहारी वर्ग द्वारा ऐसा विक्रय या क्रय या ऐसे भाल का विक्रय या क्रय;

(घ) अतिरिक्त कर की धनराशि को इनपुट क्रेडिट के लिये पात्र किया जाय।

चूंकि राज्य विधान भण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यन्वित करने के लिये विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मई, 2009 को उत्तर प्रदेश मूल्य सम्बंधित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2009) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरारथापित किया जाता है।